कार्यकारी सार

पृष्ठभूमि

निर्यात उन्मुख इकाई योजना (ईओयू) को काण्डला में प्रथम निर्यात संसाधन क्षेत्र (ईपीजेड) के गठन के अठारह वर्षों के बाद और सेज के अस्तित्व मे आने से बीस वर्ष पहले दिसम्बर 1980 में शुरू किया गया था। वर्षों से इस योजना में विभिन्न बदलाव आए है और इसके कार्यक्षेत्र में भी पर्याप्त विस्तार हुआ हैं। योजना को अतिरिक्त उत्पाद क्षमता के सृजन द्वारा निर्यातों के वर्धन के उद्देश्य के साथ आरम्भ किया गया था। इसे मुख्यत: विनिर्माण के संवर्धन और वृद्धि तथा मूल्य वर्धित उत्पादों के निर्यात के लिए बनाया गया था।

ईओयूज़ की कार्यप्रणाली तीन स्तरीय प्रशासनिक सेट-अप द्वारा शासित है। अनुमोदन बोर्ड (बीओए) शीर्ष निकाय है और इसकी अध्यक्षता सचिव, वाणिज्य विभाग द्वारा की जाती है। जोन स्तर पर इकाई अनुमोदन समिति (यूएसी) विकास आयुक्त (डीसी), जोकि यूएसी के पदेन अध्यक्ष है, के क्षेत्राधिकार में इकाईयों के अनुमोदन के साथ डील करती है।

ईओयूज के संबंध में केंद्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क कानून के प्रावधानों को केंद्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क बोर्ड (सीबीईसी), वित्त मंत्रालय (एमओएफ) के नियंत्रण के अर्न्गत केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क आयुक्त द्वारा प्रशासित किया जाता हैं।

एफटीपी 2009-14 का अध्याय 6 और एचबीपी खण्ड-1 2009-14 इस योजना को शासित करते हैं। इसके अलावा, केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 सीमा शुल्क अधिनियम, 1961 के प्रासंगिक प्रावधान और इनके अन्तर्गत बनाए गए नियम ओर सेवा कर की अनुप्रयोज्यता से संबंधित वित्त अधिनियम 1994 के प्रावधानों के अन्तर्गत जारी अधिसूचनाएं और विदेश विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 के प्रावधान आदि की अनुप्रयोज्य है।

सकल विदेश विनिमय (एनएफई) की निगरानी उपलब्धि और चूक के मामले में विदेश व्यापार (विकास और विनियम) अधिनियम, 1992 (एफटीडी एवं आर अधिनियम) की धारा 11 (2) के अन्तर्गत शास्ति का उदग्रहण वाणिज्य विभाग (डीओसी) के अन्तर्गत डीसी कार्यप्रणाली के अधिकार क्षेत्र में आता है।

डीओसी का दीर्घावधि परिदृश्य 2020 तक विश्व व्यापार में भारत को प्रमुख भागीदार बनाना हैं। विभाग की आकांक्षा अगले छह वर्षों में 25 प्रतिशत पर निर्यात की औसत वार्षिक वृद्धि को प्राप्त करना हैं। इस आकांक्षा पर कार्य करके विभाग 2010-11 के यूएस $ 225 बिलियन (अपेक्षित स्तर) से 2013-14 में यूएस $ 450 बिलियन और फिर यूएस $ 750 बिलियन तक अपने व्यापरिक निर्यातों को दोहरा करना चाहता है।

ईओयू/डीटीए इकाईयों को भारत मे कही भी स्थापित किया जा सकता है। इओयू ईकाईयां किए गए निर्यातों के आधार पर लागू शुल्कों के भुगतान के बाद डीटीए बिक्री के लिए हकदार हैं।

कराधान-शीर्ष पर इओयूज़ को आयातों और निर्यातित माल पर किसी शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है, हालांकि ईओयूज़ निर्यातित माल के लिए शुल्क फिरती और एफटीपी के अन्तर्गत अध्याय 3 (संवर्धन उपाय) लाभों के दावे करने के लिए हकदार नहीं है। सेवा कर ईओयूज़ द्वारा सेवाओं के निर्यात पर प्रतिदाय योग्य है। ईओयू में सेवा इकाईयों पर वेट उदग्रहणीय है। ईओयूज़ को इनपुटों पर उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है।

इओयूज़ को प्रभावित संरचनात्मक लागत और ईओयूज़ पर तैनात सीमाशुल्क अधिकारियों के लिए लागत वसूली प्रभार और संबंधित भंडारण प्रभारों को वहन करना होगा।

ईओयू केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क विभाग के पर्यवेक्षण के अन्तर्गत कार्यरत है। योजना से डी-बॉन्डिग और निर्गम की प्रक्रिया जटिल है।

योजना की समीक्षा 2007 में की गई थी। लेखापरीक्षा निष्कषों को 2007 की लेखापरीक्षा रिपोर्ट सं. 7 (अप्रत्यक्ष कर) में शामिल किया गया था। रिपोर्ट में की गई नौ सिफारिशों में से डीओसी ने दो सिफारिशों को स्वीकार किया था। अन्य सिफारिशों के लिए उपयुक्त उत्तर प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

न तो डीजीएफटी ने और न ही डीसीज़ ने कार्यरत इओयूज़ की संख्या, नए सदस्यों की संख्या, योजना को छोड़ने वाली इकाईयों की संख्या, उनके निर्यातो/आयातों आदि के संबंध में अपनी वेबसाइटों में वर्ष वार ब्यौरे रखे है, जिसके परिणामस्वरूप यह डाटा वाणिज्य मंत्रालय/डीजीएफटी के वेबसाइट में उपलब्ध नहीं हैं।

इओयू की समर्पित वेबसाइट (eouindia.gov.in) में कुछ डाटा केवल वित्तीय वर्ष 2007-08 तक के लिए उपलब्ध था। डीओसी ने एक्जिट कान्फ्रेस में बताया कि (जनवरी 2015) वेबसाइट 'eouindia.gov.in' कार्य नहीं कर रही थीं और अब डाटा को इओयूज़ और सेज़ो के लिए निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा अनुरक्षित www.epces.in में प्रग्रहण किया जा रहा है। लेखापरीक्षा ने पाया कि वेबसाइट में केवल दिसम्बर 2013 तक के लिए ईओयूज़ के निर्यात निष्पादन उपलब्ध हैं।

डीसीज़ के पास उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले इओयूज़ से संबंधित डाटा बेस नहीं हैं।

इओयूज़ का निष्पादन

इओयूज़ की कुल संख्या में 2009-10 में 3109 से 2013-14 में 2608 तक गिरावट आई हैं। हालांकि कार्यकारी इकाईयों की संख्या में उसी अवधि के दौरान 2279 से 2095 तक गिरावट आई है, कुल इकाईयों में से कार्यकारी इकाईयों की प्रतिशतता में गैर कार्यकारी और डिबोन्ड इकाईयों की प्रतिशतता में परिणामी वृद्धि के साथ 2010-11 में 83 प्रतिशत से 2013-14 में 80 प्रतिशत तक की गिरावट आई हैं। 2006-07 में सेज़ अधिनियम के कार्यान्वयन के बाद इओयूज़ में निरन्तर कमी आई हैं।

योजना से इओयूज़ के निर्गम के मुख्य कारण डीईपीबी, फिरती, डीएफआरसी एवं लक्ष्य प्लस योजना आदि से लाभों की अनुपलब्धता निर्धारण वर्ष अप्रैल 1-2011 (पूर्व वर्ष 2010-11) से आयकर अधिनियम की धारा 10बी के अन्तर्गत आयकर लाभों को बंद करना इत्यादि हैं।

भारत सरकार ने इओयू/इएचटीपी/एसटीपी योजनाओं पर 2009-10 से 2013-14 के दौरान ₹ 32,932 मूल्य के महत्वपूर्ण सीमाशुल्क राजस्व छोड़ दिए थे।

सरकार को अपनी नीतिगत योजना (डीओसी) की तुलना में 2013-14 में अपने निर्यात लक्ष्य के लगभग 33 प्रतिशत तक (यूएस $ 150 बिलियन) कम लाभ प्राप्त हुआ। एफटीपी (2009-14) को इसके कार्यकाल से अधिक प्रचालित किया जा रहा है और इओयू योजना ना तो उद्यमी प्राप्त कर सकी और ना ही वृद्धि में योग्यदान दे सकी जैसाकि पर्याप्त शुल्क को छोड़ते समय परिकल्पित था।

आंतरिक नियंत्रण और निगरानी

डीओसी/डीओआर द्वारा इओयू योजना के कार्यान्वयन से पहले कोई प्रभाव निर्धारण नहीं किया गया था। इओयू योजना के साथ सीधी प्रतिस्पर्धा में सेज अधिनियम के कार्यान्वयन के समय कोई मध्यावधि मूल्यांकन नहीं किया गया था। हालांकि इओयू योजना को कई वर्ष पूर्व शुरू किया गया था और इओयूज़ को पर्याप्त रियायते विस्तारित की गई थी फिर भी इओयूज़ की कार्यप्रणाली के विहंगावलोकन ने सहायता करने के लिए एमओसी एडं आई में कोई संरचनात्मक आंतरिक लेखापरीक्षा तंत्र नहीं हैं।

इकाईयों की कार्यप्रणाली और निष्पादन की वार्षिक निगरानी इकाईयों द्वारा प्रस्तुत की गई तिमाही/अर्धवार्षिक/वार्षिक विवरणियों के माध्यम से डीसीज़ द्वारा की जाती है। ऐसी समीक्षा के आधार पर डीसीज़ इकाईयों के दायित्वों को पूरा करने के लिए चूककर्त्ता इकाईयों को समर्थ बनाने के लिए डीओसी को सुधारात्मक उपायों की सूचना/सुझाव देते हैं। हालांकि, इओयूज के निष्पादन की अनियमित निगरानी के मामले देखे गए हैं।

सहायता, लेखा एवं लेखापरीक्षा नियंत्रक (डीईए) ने और न ही मुख्य लेखा नियंत्रक (डीओसी) ने इओयू योजना की लेखापरीक्षा की है। इओयू योजना की नियमित आंतरिक लेखापरीक्षा की प्रणाली को डीओसी द्वरा संस्थागत नहीं किया गया हैं।

डीओसी ने समर्पित वेबसाईट पर अधतित डाटा को एकत्र, मिलान और उपलब्ध कराने के लिए उपाय कर सकता है।

अननुपालन और नीति की मिथ्या प्रस्तुति के मामले

अननुपालन और नीति की मिथ्या प्रस्तुति के मामले देखे गए है जिनमें डीटीए बिक्रियां, इओयू योजना से निर्गम के समय पर शुल्क का कम उदग्रहण, केंद्रीय उत्पाद शुल्क छूट अधिसूचना अनुप्रयोज्यता, सेनवेट क्रेडिट की गलत प्राप्ति, सेवा कर का अनुद्ग्रहण आदि शामिल है:

इस रिपोर्ट में बताए गए प्रणालीगत मामलों के अलावा प्रचालनात्मक खराबी के विशेष मामलों से ₹ 317.06 करोड़ के शुल्क का कम/उदगहण नहीं हुआ।

सिफारिशें

1. *मंत्रालय विशिष्ट घटनाक्रमों तथा परिमेय परिणामों में गिरावट को रोकने के लिए आवश्यक सुधारात्मक उपाय शुरू करें ताकि योजना की विशिष्टता का उपयोग करते हुए निर्यात में वृद्धि के लिए आधारभूत उद्देश्य को प्राप्त किया जा सकें।*
2. *डीओसी ईओयू योजना की नियमित आंतरिक लेखापरीक्षा की एक प्रणाली को संस्थागत करें और विश्वसनीय वेबासाइट पर अद्यतित डाटा को संग्रह, साफ, मिलान तथा सूचित करने के लिए उपाय करें।*
3. *डीओसी यह सुनिश्चित करने के लिए उपाय करे कि एपीआरज़ समय पर प्रस्तुत की गई है तथा इन रिपोर्टों में, जो इओयूज़ के निष्पादन की निगरानी हेतु बनी है, ना केवल निर्यात बल्कि छोड़े गए शुल्क, निर्यात को सुविधा पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा डीटीए बिक्री के बारे में भी सभी महत्वपूर्ण डाटा हो*
4. *विभाग विकास आयुक्तों और केंद्रीय उत्पाद शुल्क प्राधिकारियों द्वारा संयुक्त निगरानी के निर्धारित तंत्र में सुधार करने के साथ-साथ एफटीडीआर।सीमाशुल्क/केंद्रीय उत्पाद शुल्क/सेवा कर अधिनियम के अनुसार किसी गंभीर अननुपालन के लिए जवाबदेही के निर्धारण के माध्यम से इओयूज़ द्वारा डीटीए मंजूरी के मामले में आंतरिक नियंत्रण को सदृढ करें।*
5. *विभाग को ईओयूज़ द्वारा दी गई घरेलू मंजूरी पर उद्ग्रहण योग्य शुल्क से संबंधित केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 5ए और धारा 3 के विरोधाभासी प्रावधानों के कारण उत्पन्न अस्पष्टता को हटाने के लिए उपयुक्त संशोधन पर विचार करना चाहिए।.*
6. *विभाग को परिकल्पित उद्देश्यों से जुड़े इओयू में प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए एफटी(डीएडंआर) अधिनियम के संबंधित प्रावधान को स्पष्ट करना चाहिए।*
7. *ईओयूज़ के डीटीए बिक्री हकदारी से संबंधित केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिसूचना और एफटीपी के बीच अस्पष्टता को दूर करने के क्रम में लागू प्रावधानों में संशोधन करने पर विचार किया जाना चाहिए।*

100% निर्यात उन्मुख इकाई (ईओयू) योजना का निष्पादन